

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।

कम्प्यूटर संख्या—

सी0एन0आर0नं0—यू0पी0 एल0पी0—040

राज्य

बनाम

अमरीक सिंह

आदेश

अभियुक्तगण जसवन्त, रमेश की ओर से जमानत प्रार्थना—पत्र रेन्ज केस संख्या 08/2018—19 धारा 27,51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा 26,41,42 भारतीय वन अधिनियम रेन्ज बेलरायों जिला खीरी में प्रस्तुत किया गया।

सुना अवलोकन किया।

अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्तगण द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र मोहरेना में अवैध रूप से प्रवेश कर सागौन बृक्षों का पातन करके प्रकाष्ठ प्राप्त करके उसका चिरान कर बरामदगी कर अवैध अभिवहन करना कहा गया है। अभियुक्तगण पर लगाया आरोप अजमानतीय, गम्भीर है, केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है।

सी0जे0एम0

खीरी।

13—1—2019